रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

No. 345] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2016

सं. 113

सं.ईपी-7(1)/2016.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ.—**

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 कहे जाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषा.—**इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. निम्नलिखित नोट भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 (परिशिष्ट -I) के पार्ट I में सभी संवर्गों/पदों के प्रति टिप्पणी कॉलम में शामिल किया जाएगाः-

"जहां पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे कनिष्ठ ने अपनी अर्हता/पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, ऐसे मामले में उनके वरिष्ठ की पदोन्नति पर भी विचार किया जाए बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा में आधे से अधिक की अवधि अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, बकाया न हो तथा अपने कनिष्ठ जिन्होंने इस प्रकार की अर्हता/पात्रता पहले ही पूरी करली है, उनके साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"

4. परिशिष्ट–I में पार्ट I – विशेष पद में क्रम सं. 2 में दिए कार्यकारी निदेशक (अंचल) तथा क्रम सं. 3 में दिए कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य) के पद के कॉलम नं. 9 में मौजूदा टिप्पणी को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

सुभाष जाडू, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./225 (108)]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08-05-1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए |

1.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
2.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
3.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2015	06.04.2015
4.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2015	29.05.2015
5.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2015	13.07.2015
6.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2016	27.04.2016

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2016

No. 113

No. EP-7(1)2016.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. **Short Title and Commencement.—**

   (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Second Amendment) Regulations, 2016

   (ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following Note shall be incorporated in Remarks Column against all cadres/posts in Appendix I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971:-

"Where juniors who have completed their qualifying/eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service"

4. The existing Note in the Remarks in column No.9 against the post of Executive Director (Zone) figuring at Sl. No. 2and Executive Director (Commercial) figuring at Sl.No.3 in Part.I-Special posts in Appendix-I is hereby deleted.

SUBHASH ZADOO, Secy.

[ADVT.–III/4/Exty./225 (108)]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
2.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2015	06.04.2015
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2015	29.05.2015
5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2015	13.07.2015
6.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2016	27.04.2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.14 10:32:28 +05'30'